


29-6-22 परावली पेश हुयी वकील पार्टी उपस्थित।  
प्रकरण में बहस सुनी गयी वृंकि मूलवाद  
में प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया  
जा चुका है और प्राथना-पत्र (212(2)  
सांखीन हो चुका है अतः पार्टी का प्रा०  
पत्र खारिज किया जाता है।

परावली फैंसल सुमार होकर  
नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनाद (अजमेर)

